न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 35 / 2022 **दायरा दिनांक : 23.03.2022**

उनवान

1– रमेश पुत्र भरोसी बाई, जाति बैरवा

2– खिलौना पुत्र बाबूलाल भॉड, जाति भॉड

3– ओम प्रकाश पुत्र पहलवान, जाति भॉड

4– भोजराज पुत्र मांगीलाल, जाति एयरवाल

5– गुड्डू लाल पुत्र श्यामलाल, जाति यादव (जाटव)

6– धनराज सुमन पुत्र बाबूलाल, जाति माली

7– गोपाल भॉड पुत्र विश्राम, जाति भॉड

8– संतरा पत्नी प्रहलाद, जाति भॉड

9– लखन पुत्र खिलौना भॉड, जाति भॉड

10– विजय सिंह पुत्र शिवचरण

11– कमलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति बैरवा

12– रामू पुत्र मोहनलाल शाक्यवाल, जाति कोली

निवासीगण कुन्जबिहारी कॉलोनी, अटरू रोड़, बारां राजस्थान

13– सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल गोस्वामी, जाति गोस्वामी, निवासी अम्बेडकर सर्किल बारां जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र रतनलाल, जाति चमार (एयरवाल), निवासी खाजूरपुरी वार्ड बारां, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2– महेन्द्र पुत्र उदल, जाति मेघवाल

3– महेन्द्र पुत्र बाबूलाल, जाति जाटव

4– ओम पुत्र रामाअवतार योगी, जाति नाथ

5– बृजराज पुत्र छीतरनाथ, जाति नाथ

6– सुशीला बाई पत्नी जोधराज पुत्री मांगीलाल बैरवा

7– मांगीलाल पुत्र बाबूलाल सुमन, जाति माली

8– रोडू पुत्र किशोर, जाति जाटव

9– श्याम पुत्र सीता बाई, जाति मीणा

10– शिव प्रकाश पुत्र गोरधन, जाति नाथ

निवासीगण कुन्जबिहारी कॉलोनी, अटरू रोड़, बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां जिससे वाद संख्या – 78/2017 वास्ते अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.ए. वादी का वाद डिक्री किया गया।

निर्णय **दिनांक : 27.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 ग्राम सुसावन पटवार हल्का बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबंदी संख्या नया 333 पुराना 63 की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर लगानी 7.44 रूपये, खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर लगानी 1.84 कुल 2 किता कुल रकबा 1.16 हेक्टर कुल लगानी 9.28 रूपये अवस्थित है, जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3 उक्त आराजी वादी द्वारा दिनांक 26.05.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चन्द्रप्रकाश पुत्र गणेशराम, मांगीबाई पुत्री गणेशराम सावित्री बाई उर्फ साबोबाई पुत्री गणेशराम, जाति जाटव, निवासी खजुरपुरा वार्ड बारां से खरीद की गई है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रार्थी के मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने की धमकी दी जबकि वादी द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी है वादी शांतिप्रिय नागरिक है जबकि प्रतिवादीगण लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिसमें से प्रतिवादी कम 21, 22 राजनैतिक प्रभावशाली है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे है उनसे वादी के द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व मॉ बहिन की गालियां निकाली तथा कहा कि हमने कब्जा कर रखा है अब तूझे जो कार्यवाही करनी हो कर हम कब्जा नहीं छोड़ेगे। वादी अपने खातेदारी की आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

4 वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व शेष खाली रकबे पर भी कब्जा करने की धमकी दी गई और कहा कि अभी तो कुछ भाग पर ही कब्जा किया है अब बाकी के शेष भाग पर कब्जा करके मकान का निर्माण करेंगे। वादी के द्वारा विरोध करने पर दिनांक 01.05.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी कि बाकी जमीन पर कब्जा करेंगे व इस पर से भी कब्जा नहीं हटायेगे तो वादी द्वारा तहसीलदार बारां से निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस प्रकार अंतिम रूप से वाद कारण दिनांक 01.05.2017 को बमुकाम सुसावन में उत्पन्न हुआ है।

5 अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम सुसावन की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जावे कि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे।

6 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

7 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय वकील वादी की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि ग्राम सुसावन पटवार हल्का बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबंदी संख्या नया 333 पुराना 63 की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर लगानी 7.44 रूपये, खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर लगानी 1.84 कुल 2 किता कुल रकबा 1.16 हेक्टर कुल लगान 9.28 रूपये स्थित है, जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

8 उक्त आराजी वादी द्वारा दिनांक 26.05.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चन्द्रप्रकाश पुत्र गणेशराम, मांगीबाई पुत्री गणेशराम सावित्री बाई उर्फ साबोबाई पुत्री गणेशराम, जाति जाटव, निवासी खजुरपुरा वार्ड बारां से खरीद की गई है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वादी के मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने की धमकी दी जबकि वादी द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी है वादी शांतिप्रिय नागरिक है जबकि प्रतिवादीगण लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिसमें से प्रतिवादी क्रम 21, 22 राजनैतिक प्रभावशाली है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे है उनसे वादी के द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व मॉ–बहिन की गालियां निकाली तथा कहा कि हमने कब्जा कर रखा है अब तूझे जो कार्यवाही करनी हो कर हम कब्जा नहीं छोड़ेगे। वादी अपने खातेदारी की आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9 वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व शेष खाली रकबे पर भी कब्जा करने की धमकी दी गई और कहा कि अभी तो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुछ भाग पर ही कब्जा किया है अब बाकी के शेष भाग पर कब्जा करके मकान का निर्माण करेंगे। वादी के द्वारा विरोध करने पर दिनांक 01.07.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी कि बाकी जमीन पर कब्जा करेंगे व इस पर से भी कब्जा नहीं हटायेगे तो वादी द्वारा तहसीलदार बारां से निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस प्रकार अंतिम रूप से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

10 अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम सुसावन की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे।

11 वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 2 ता 21 की ओर से दिनांक 21.07.2017 को वकील अरविन्द बघेरवाल द्वारा अण्डर टेकिंग दी जाकर आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी कम 22 दिनांक 30.07.2018 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादी कम 1 की दिनांक 12.04.2019 को पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड ए. डी. की रसीद पेश हुई है। इसके बावजूद प्रतिवादी कम 1 उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण 1 ता 22 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील श्री अरविन्द बघेरवाल द्वारा भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार दिनांक 17.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाकर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा किया गया है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. के रूप में अपना स्वयं का बयान कराया एवं दस्तावेज में प्रदर्श 1 जमाबंदी प्रदर्श 2 नक्शाट्रेस, प्रदर्श 3 गिरदावरी, प्रदर्श 4 रजिस्ट्री की नकल जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर प्रदर्श 4ए है पेश की गई। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा और साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस अंतिम में नियत की गई। वकील वादी की बहस

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

12 हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दस्तावेज को देखा गया एवं कानूनी बिन्दू को देखा गया, वाद वादी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

13 अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम सुसावन, पटवार हल्का बारां की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर व खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर कुल 2 किता की 1.16 हेक्टर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत उत्पन्न नहीं करें, न अपने प्रतिनिधियों से करावें, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग करने दे डिक्री पर्चा जारी हो।

14 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

15 निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त योग्य है।

16 अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम सुसावन, पटवार हल्का बारां की आराजी खसरा नम्बर 1014/748 रकबा 0.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 1016/713 रकबा 0.23 हेक्टर कुल 2 किता की 1.16 हेक्टर आराजी के मामले में रेस्पोडेंट कम 1/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अवैधानिक रूप से डिक्री कर अपीलांट/प्रतिवादीगण को बेदखल करने का आदेश व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

17 अधीनस्थ न्यायालय ने किसी वकील की अन्डर टेंकिंग के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 17.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित की है, जो अवैधानिक है। अपीलांट ने कभी भी श्री बघेरवाल वकील को अपना वकील नियुक्त नहीं किया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18 विवादित आराजी का मूल खातेदार चन्द प्रकाश पुत्र गणेश व अन्य थे। इस आराजी पर मूल खातेदार का कभी कब्जा नहीं रहा, इस आराजी पर अपीलांट प्रतिवादीगण के मकान बने हुए हैं और कुल मकान करीब 25–30 से भी अधिक बने हुए हैं। अपीलांट को बेदखल करवाये बिना ही मूल खातेदारान ने अपना कब्जा नहीं होते हुए भी दिनांक 26.05.2016 को विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेंट कम 1/वादी के हक में कर दिया और उपपंजीयक बारां ने भी बिना मौका देखे ही आराजी का पंजीयन कर दिया, जो अवैधानिक है।

19 विवादित आराजी पर अपीलांट/प्रतिवादीगण के मकानात करीब 25–30 वर्षों से भी अधिक समय से बने हुए हैं। नल लाईट लगी हुई है, अवधि मध्य कभी भी मूल खातेदार चन्द्र प्रकाश वगैराह ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की एवं अपीलांट को बेदखल किये बिना ही कब्जा नहीं होते हुए भी रेस्पोडेंट कम 1 को आराजी क बेचान कर दिया, जो अवैधानिक है। कानूनी वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं फरमाया ।

20 अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र वादी रेस्पोडेंट कम 1 के बयान के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं हुई, वादी ने अपने वाद पत्र में एवं बयानों में भी मकानात बने हुए हैं के तथ्य को भी छिपाया है। विवादित आराजी पर अपीलांट के मकान काफी पुराने है, जो आबादी क्षेत्र में आते हैं। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को आबादी क्षेत्र के मामले में सुनवायी करने का ही अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय, राजस्व न्यायालय को उक्त वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं होने से सक्षम दीवानी न्यायालय में वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु लौटाना चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त होने योग्य है।

21 अधीनस्थ न्यायालय में अण्डर टेंकिंग के आधार पर एक तरफा कार्यवाही की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत है और इसी कारण अपीलांट अपनी जवाबदेही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22 अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2019 निरस्त फरमाई जावे।

23 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.03.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

24 अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी पेश कर निवेदन किया कि निम्न दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है परन्तु अपील में अवलोकन हेतु पेश किये जने आवश्यक है –

1. नकल आदेशिका दिनांक 26.6.2017 से 02.08.2019
2. नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–2074
3. नकल रजि0 स्टाम्प रसीद 26.05.2016

25 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी के नकल आदेशिका दिनांक 26.6.2017 से 02.08.2019, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2071–74 व नकल रजि0 स्टाम्प रसीद 26.05.2016 की प्रमाणित प्रति पेश की है । पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

26 पत्रावली दिनांक 24.02.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई । अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक रेस्टोरेशन संख्या 01/2020 दिनांक 08.03.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 23.03.2022 को स्वीकार किये जाने पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

27 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

28 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

29 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

30 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 2 ता 21 की ओर से दिनांक 24.07.2017 को वकील अरविन्द बघेरवाल द्वारा अण्डर टेकिंग दी जाकर आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी कम 22 दिनांक 30.07.2018 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादी कम 1 की दिनांक 12.04.2019 को पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड ए. डी. की रसीद पेश हुई है। इसके बावजूद प्रतिवादी कम 1 उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण 1 ता 22 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील श्री अरविन्द बघेरवाल द्वारा भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार दिनांक 17.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाकर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा किया गया है।

31 वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. के रूप में अपना स्वयं का बयान कराया एवं दस्तावेज में प्रदर्श 1 जमाबंदी प्रदर्श 2 नक्शाट्रेस, प्रदर्श 3 गिरदावरी, प्रदर्श 4 रजिस्ट्री की नकल जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर प्रदर्श 4ए है पेश की गई। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश नहीं करना चाहा और साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस अंतिम में नियत की गई। वाद वादी को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

32 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

33 निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

34 निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रमेश पुत्र भरोसी बाई, जाति बैरवा
2– खिलौना पुत्र बाबूलाल भॉड, जाति भॉड
3– ओम प्रकाश पुत्र पहलवान, जाति भॉड
4– भोजराज पुत्र मांगीलाल, जाति एयरवाल
5– गुड्डू लाल पुत्र श्यामलाल, जाति यादव (जाटव)
6– धनराज सुमन पुत्र बाबूलाल, जाति माली
7– गोपाल भॉड पुत्र विश्राम, जाति भॉड
8– संतरा पत्नी प्रहलाद, जाति भॉड
9– लखन पुत्र खिलौना भॉड, जाति भॉड
10– विजय सिंह पुत्र शिवचरण
11– कमलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति बैरवा
12– रामू पुत्र मोहनलाल शाक्यवाल, जाति कोली
निवासीगण कुन्जबिहारी कॉलोनी, अटरू रोड़, बारां राजस्थान
13- सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल गोस्वामी, जाति गोस्वामी, निवासी अम्बेडकर सर्किल बारां जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– देवीलाल आयु 38 वर्ष पुत्र रतनलाल, जाति चमार (एयरवाल), निवासी खाजूरपुरी वार्ड बारां, जिला बारां
2– महेन्द्र पुत्र उदल, जाति मेघवाल
3– महेन्द्र पुत्र बाबूलाल, जाति जाटव
4– ओम पुत्र रामाअवतार योगी, जाति नाथ
5– बृजराज पुत्र छीतरनाथ, जाति नाथ
6– सुशीला बाई पत्नी जोधराज पुत्री मांगीलाल बैरवा
7– मांगीलाल पुत्र बाबूलाल सुमन, जाति माली
8– रोडू पुत्र किशोर, जाति जाटव
9– श्याम पुत्र सीता बाई, जाति मीणा
10–शिव प्रकाश पुत्र गोरधन, जाति नाथ
निवासीगण कुन्जबिहारी कॉलोनी, अटरू रोड़, बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 35/2022 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, बारां
मु.द.नं0 78/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक – 02.08.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 14 माह 02 सन् 2023

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से , रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 27 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)